

NHB (ND)/R&PFD/2020-21
5th August, 2020



To All Housing Finance Companies

Madam / Sir,

**Extension of the utilization time period under the
Liquidity Infusion Facility (LIFT) Scheme**

In order to infuse liquidity in to the Housing Finance system and also to cater the demand of HFCs to address the housing finance requirements in the affordable housing finance sector, Liquidity Infusion Facility (LIFT) Scheme for Housing Finance Companies was launched. The LIFT Scheme was valid till 30.06.2020.

2. As stipulated in the LIFT Scheme, Housing Finance Companies availing refinance under this facility have to create a portfolio of individual housing loans that fall under the category of Priority Sector (as defined by RBI) within six months from the date of availing this facility from National Housing Bank.
3. It has been decided that to **extend the time period** for utilization of funds availed under the Liquidity Infusion Facility Scheme by **another three months**.
4. The **time period for utilization** of funds under the LIFT Scheme **is nine months** from the date of availment of refinance from NHB under the scheme.
5. All other terms and conditions stipulated in the LIFT scheme will remain unchanged.

Yours faithfully,

Kulasekhara Chakravarthy

General Manager

Refinance & Project Finance Department

रा.आ.बैंक (नदि)/आरएंडपीएफडी/2020-21

5 अगस्त, 2020

सभी आवास वित्त कंपनियों को,


महोदया / महोदय,

चलनिधि अंतर्वेशन सुविधा (LIFT) योजना के अंतर्गत उपयोग की समयावधि का विस्तार

चलनिधि अंतर्वेशन सुविधा (LIFT) योजना, आवास वित्त प्रणाली में चलनिधि को अंतर्वेशन करने और साथ ही किरायादाता आवास वित्त क्षेत्र में आवास वित्त आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु आ.वि.कं की मांग को पूरा करने के लिए, आवास वित्त कंपनियों हेतु शुरू की गई। LIFT योजना दिनांक 30.06.2020 तक वैध थी।

2. जैसा कि LIFT योजना में निर्धारित किया गया है, इस सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त प्राप्त करने वाली आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक से यह सुविधा प्राप्त करने के छः माह के भीतर एक वैयक्तिक आवास ऋण पोर्टफोलियो बनाना होगा जो कि प्राथमिकता-प्राप्त श्रेणी (जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित है) में आता हो।
3. यह निर्णय लिया गया है कि चलनिधि अंतर्वेशन सुविधा योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि के उपयोग की समयावधि को अगले तीन महीनों तक बढ़ाया जाए।
4. LIFT योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग की समयावधि योजना के तहत रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की तिथि से नौ महीने है।
5. LIFT योजना में निर्धारित सभी अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,



के. चक्रवर्ती

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग